—: अति अल्पकालीन सामान्य निविदां सूचना :—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020, प्रस्तर 3 के स्तम्भ–2 में वर्णित जिला पंचायतों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिलानिधि में उपलब्ध धनराशि से सामान्य टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत निम्न कार्य की निविदां दिनांकः 05.01.2022 की अपरान्ह 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदां इसी दिनांकः 05.01.2022 को अपरान्ह 3:00 बजे अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। इच्छुक ठेकेदार निविदां प्रपत्र दिनांकः 05.01.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक निर्धारित टेण्डर शुल्क जमा कराकर कार्यालय जिला पंचायत, बागपत से क्रय कर सकता है। विदित रहे कि निविदांदाता द्वारा निविदां प्रपत्र के साथ रू0 100 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र व 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागपत के पदनाम पर बंधक कराकर जिला पंचायत, बागपत के टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी। निविदां स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा तथा सक्षम अधिकारी कार्य में घटोत्तरी/बढोत्तरी/संशोधन अथवा कार्य समाप्त कर सकते हैं।

नोटः—जिला पंचायत, बागपत द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं में जिला पंचायतों/राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार से न्यूनतम निविदां प्राप्त होने की दशा में वह एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जिला पंचायत, बागपत में रजिस्ट्रीकृत हेतु निर्धारित रजिस्ट्रीकरण, शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/ई–बैंकिंग के माध्यम से जिलानिधि के खाता संख्याः 21090368754 इंडियन बैंक, IFSC-IDIB000B541 में जमा करायेगा। तदोपरान्त प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित होकर निविदां की शर्तो के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित करायेगा।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित प्रांकलन की धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर की धनराशि (रू0 में)	निविदां शुल्क+जी.एस.टी. की धनराशि (रू0 में)		
				निविदां शुल्क	18% GST	कुल योग
1	ग्राम गल्हैता वन मार्ग की आवश्यक मरम्मत, बैरिकेटिंग कार्य व ग्राम बालैनी, हरियाखेडा, पुरा, मवीखुर्द, चिरचिटा, गल्हैता, आदि गॉवों में कावड मार्ग के विधुत पोलो पर बल्ब लगाकर प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य।	**2.89**	5780	1000	180	**1180**

अभियन्ता
जिला पंचायत बागपत

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।

कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पंत्राकः– 1160 /जि0पं0,बागपत/2021–22, दिनांकः– 29-12-21

प्रतिलिपिः–निम्नांकितो को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र जनवाणी व धारा न्यूज बागपत को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त सूचना को अपने आगामी अंक के दैनिक समाचार पत्र में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, बागपत।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय, जिला पंचायत, बागपत।
4. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत, बागपत को इस निर्देश के साथ कि वे निविदां खोले जाने हेतु नियत दिनांक व समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे उक्त निविदां सूचना को जनपद की वेबसाईट http//baghpat.nic.in पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।